

आदेश :-

कार्गिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.13(51) डीओपी/ए-1/एसीआर/08 जयपुर दिनांक 5.6.2008 के अनुक्रम में राजस्थान अभियोजन सेवा के अधिकारियों (इस विभाग या अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का अधिक्रमण (Super Session) करते हुए इन अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

| क्र. सं. | पदनाम अधिकारी | प्रतिवेदक अधिकारी | समीक्षक प्राधिकारी | स्वीकार कर्ता प्राधिकारी |
|----------|---|---|--|--------------------------|
| 1. | उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह | अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह |
| 2. | उप निदेशक अभियोजन (संगांग) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह | अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह |
| 3. | उप निदेशक अभियोजन (राजस्थान उच्च न्यायालय) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह | अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह |
| 4. | उप निदेशक अभियोजन (प्र.नि.ब्यूरो) | महानिदेशक (प्र.नि.ब्यूरो) | विशिष्ट शासन सचिव, गृह | अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह |
| 5. | सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) | उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह |
| 6. | सहायक निदेशक अभियोजन (जिला मुख्यालय) | उप निदेशक अभियोजन (संगांग) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह |
| 7. | सहायक निदेशक अभियोजन (प्र.नि.ब्यूरो) | उप निदेशक अभियोजन (प्र.नि.ब्यूरो) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह |
| 8. | सहायक निदेशक अभियोजन (पुलिस मुख्यालय) | पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) सी०आई०डी०(सी०बी०) | अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सी०आई०डी०(सी०बी०) | निदेशक अभियोजन |
| 9. | सहायक निदेशक अभियोजन (राज० पुलिस अकादमी जयपुर) | उप निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (राजस्थान पुलिस अकादमी) | निदेशक (राजस्थान पुलिस अकादमी) | निदेशक अभियोजन |
| 10. | लोक अभियोजक | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह | अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह |
| 11. | विशिष्ट लोक अभियोजक | उप निदेशक अभियोजन (संगांग) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह |
| 12. | अपर लोक अभियोजक | उप निदेशक अभियोजन (संगांग) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह |
| 13. | सहायक लोक अभियोजक, प्रथम श्रेणी (मुख्यालय) | सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) | उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) | निदेशक अभियोजन |
| 14. | सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी | सहायक निदेशक अभियोजन (जिला मुख्यालय) | उप निदेशक अभियोजन (संगांग) | निदेशक अभियोजन |
| 15. | सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी (पुलिस मुख्यालय) | पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) सी०आई०डी०(सी०बी०) | अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सी०आई०डी०(सी०बी०) | निदेशक अभियोजन |
| 16. | सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(जेडीए) | निदेशक विधि (जेडीए) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव, गृह |
| 17. | सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी (रलवे कोर्ट) | सहायक निदेशक अभियोजन (जिला मुख्यालय) | उप निदेशक अभियोजन (संगांग) | निदेशक अभियोजन |
| 18. | सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी (राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर) | उप निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (राजस्थान पुलिस अकादमी) | निदेशक (राजस्थान पुलिस अकादमी) | निदेशक अभियोजन |
| 19. | सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी(एटीएस) | पुलिस अधीक्षक, (एटीएस) | अतिरिक्त महानिदेशक (एटीएस) | निदेशक अभियोजन |

Handwritten signature

| | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 20. | सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी (पीटीएस जोधपुर) | उप निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (पीटीएस जोधपुर) | प्राचार्य, (पीटीएस) जोधपुर | निदेशक अभियोजन |
|-----|--|---|-------------------------------|-------------------|

Wing
20/11
(प्रदीप कुमार शास्त्री)
वशिष्ठ शारान सचिव गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय गृह मंत्री।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय-जयपुर।
6. महानिदेशक पुलिस (ग्रानि०ब्यूरो, होमगार्ड, जेल) राजस्थान-जयपुर।
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एटीएस, एसओजी, सीआईडी सीबी) राजस्थान-जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
9. निदेशक अभियोजन, राजस्थान-जयपुर।
10. निदेशक वादकरण, राजस्थान-जयपुर।
11. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
12. प्राचार्य, पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण-जयपुर।
14. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

Prakash
अनुगागाधिकारी

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प.16(9)गृह-10/2000

जयपुर, दिनांक: 8-11-20/:

—:आदेश:—

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.13(51)डीओपी ए-1/एसीआर/08 जयपुर दिनांक 05.06.2008 के अनुक्रम में राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन सर्तकता (मुख्यालय) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

| क्र. स. | पदनाम अधिकारी | प्रतिवेदक अधिकारी | समीक्षक अधिकारी | स्वीकारकर्ता अधिकारी |
|---------|---|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता) (मुख्यालय) | उप निदेशक अभियोजन, (मुख्यालय) | निदेशक अभियोजन | विशिष्ट शासन सचिव गृह (विधि) |


(डी.पी.शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजि सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह।
2. निजि सचिव, विशिष्ट शासन सचिव गृह (विधि), गृह (ग्रुप-10) विभाग।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
4. वरिष्ठ निजि सहायक, निदेशक अभियोजन, राज. जयपुर।
5. उप निदेशक अभियोजन मुख्यालय, राज. जयपुर।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, सतर्कता, राज. जयपुर।
7. गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राज. जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी
गृह (ग्रुप-10) विभाग